अंगदान: अभाव की दुनिया में एक नैतिक अनिवार्यता

"[illegible]

~[illegible]

अंग प्रत्यारोपण, जीवन को सक्षम बनाने के लिये एक चिकित्सीय चमत्कार है, जो नैतिक दुविधाओं के जटिल जाल से जुड़ा हुआ है। वैश्विक स्तर पर अंगों की कमी के कारण ये कठिनाइयाँ और भी बदतर हो गई हैं, जिसके कारण अंगदान एवं प्रत्यारोपण के नैतिक परिणामों की गहन जाँच आवश्यक हो गई है। हालाँकि, **राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO)** की वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की जब वह एक वर्ष में 1,000 से अधिक मृत अंग दाताओं को पार करने वाला पहला देश बन गया, जो वर्ष 2022 में निर्धारित की गई संख्या से अधिक है।

यह **नैतिक बहस उस नैतिक परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश** डालती है जिसमें **अंगदान, जीवन की पवित्रता, व्यक्तिगत स्वायत्तता और सामाजिक दायित्वों के बीच जटिल संतुलन** की जाँच शामिल है। अंगदान के नैतिक निहितार्थ व्यापक हैं और इसमें मानव शरीर की पवित्रता से लेकर सीमित संसाधनों के उचित वितरण तक सब कुछ शामिल है।

चिकित्सीय प्रगति, कानूनी ढाँचे और सामाजिक मूल्यों के बीच परस्पर क्रिया की जाँच करके, यह नैतिक बहस उन नैतिक चुनौतियों को उजागर करने का प्रयास करती है, जिनका समाधान किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंग प्रत्यारोपण नैतिक उथल-पुथल का स्रोत न होकर आशा की किरण बना रहे।

अंगदान और प्रत्यारोपण से संबंधित नैतिक चिंताएँ क्या हैं?

- **प्रकल्पित सहमति [illegible] स्पष्ट सहमति:** यह निर्धारित करना महत्त्वपूर्ण है कि क्या किसी मृत व्यक्ति ने अपने जीवनकाल के दौरान अंगदान के लिये सहमति व्यक्त की थी या इनकार किया था। जब उनकी सहमति के बिना निर्णय लिये जाते हैं तब नैतिकता संबंधी मुद्दे उत्पन्न होते हैं।
  - हालाँकि, प्रकल्पित सहमति के इस दृष्टिकोण ने स्पेन जैसे देशों में अंगदान में वृद्धि की है, लेकिन यह व्यक्तिगत स्वायत्तता और व्यक्तिगत निर्णयों में राज्य की भूमिका के बारे में नैतिक चिंताओं को जन्म देता है।
- **चिकित्सीय नैतिकता का विरोधाभास:** जबकि किडनी दाता आमतौर पर स्वस्थ जीवन जीते हैं, यूरोपीय संघ और चीन के शोध से पता चलता है इनको विशेषरूप से मूत्र एवं वक्ष के संक्रमण का खतरा होता है।
  - यह स्थिति **"प्राइमम नॉन नोसेरे" (पहले, कोई नुकसान न करें)** के मूलभूत चिकित्सा सिद्धांत का उल्लंघन करती है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे को लाभ पहुँचाने के लिये रोगी बन जाता है जो पहले से ही बीमार है।
- **अंगों की तस्करी एवं व्यावसायीकरण:** अंगदान, तस्करी के प्रति संवेदनशील है, विशेषकर तब जब अंगों की खरीद, परिवहन या प्रत्यारोपण में अवैध एवं अनैतिक प्रथाएँ शामिल हों।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन के **"मानव अंग प्रत्यारोपण पर मार्गदर्शक सिद्धांत",1991** मानव अंगों की वाणिज्यिक तस्करी में वृद्धि पर चिंताओं को उजागर करते हैं, विशेष रूप से जीवित दाताओं से जो प्राप्तकर्त्ताओं से संबंधित नहीं हैं।
- **भावनात्मक दबाव:** दाता और प्राप्तकर्ता के बीच की गतिशीलता किसी अंग को देने के दाता के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। प्राप्तकर्ता से संबंधित दाता प्राय: पारिवारिक एवं भावनात्मक संबंधों के कारण दायित्व की भावना महसूस करते हैं।
  - संभावित अनैतिक प्रभाव, भावनात्मक दबाव नैतिक समस्याएँ उत्पन्न करते हैं।
- **आवंटन एवं निष्पक्षता**: **निष्पक्ष एवं न्यायसंगत अंग आवंटन** सुनिश्चित करना एक स्थायी नैतिक मुद्दा है।
  - धन, सामाजिक स्थिति या स्थान के आधार पर प्रत्यारोपण तक पहुँच में असमानताएँ निष्पक्षता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न कर सकती हैं।
- **ब्रेन डेथ और ऑर्गन रिट्रीवल:** ब्रेन डेथ की अवधारणा, जो मृत शरीर के अंगदान के लिये महत्त्वपूर्ण है, सार्वभौमिक रूप से समझी या स्वीकार नहीं की जाती है।
  - **दाताओं या उनके परिवारों से सूचित और स्वैच्छिक सहमति सुनिश्चित करना आवश्यक** है। यदि सहमति उचित रूप से प्राप्त नहीं की जाती है या प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है, तो नैतिक मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं, जो संभावित रूप से दानकर्त्ता या उनके परिवार की स्वायत्तता का उल्लंघन करते हैं।
- **ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन**: जैसे-जैसे अनुसंधान आगे बढ़ता है, मानव प्रत्यारोपण के लिये पशु अंगों के उपयोग की संभावना नए नैतिक प्रश्न उठाती है।
  - विज्ञान के बारे में सामाजिक अज्ञानता एवं वैज्ञानिक समुदाय की नैतिक विचारों से अलगाव के कारण ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन को नैतिक

चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
    - अंगों के स्रोत के रूप में पशुओं का उपयोग पशु अधिकारों तथा मानवीय उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन के रूप में पशुओं के साथ व्यवहार की नैतिकता के बारे में महत्त्वपूर्ण नैतिक प्रश्न उठाता है।
- **पारदर्शिता एवं सार्वजनिक विश्वास:** पारदर्शिता एवं सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिये **जानकारी के प्रकटीकरण**, अंगों की खरीद एवं प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं के प्रबंधन के साथ-साथ **अंगदान रजिस्ट्री** की निगरानी के संबंध में नैतिक विचार आवश्यक हैं।
- **दुर्लभ अंगों का वितरण:** यह निर्धारित करने में कि उपलब्ध अंग किसे प्राप्त होंगे, इसमें जटिल नैतिक विचार शामिल हैं। दानकर्ता एवं प्राप्तकर्ता का स्थान और वित्तीय स्थिति दान के लिये उपलब्ध दुर्लभ अंगों तक पहुँच निर्धारित करती है।

भारतीय अंगदान दिवस (IODD)

- **वर्ष 2010 से 3 अगस्त** को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला भारतीय अंगदान दिवस का उद्देश्य मस्तिष्क स्टेम मृत्यु और अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना, मिथकों एवं गलत धारणाओं को चुनौती देना और साथ ही नागरिकों को मरणोपरांत अंग एवं ऊतक दान करने के लिये प्रोत्साहित करना है।
- वर्ष 2024 में विभिन्न जागरूकता पहलों को समर्थन देने के लिये **"अंगदान जन जागरूकता अभियान"** शुरू किया गया। इस अभियान के हिस्से के रूप में, **जुलाई** को **अंगदान माह** के रूप में नामित किया गया था।

अंगदान के माध्यम से, एक व्यक्ति गुर्दे, यकृत, फेफड़े, हृदय, अग्न्याशय तथा आँतों जैसे महत्त्वपूर्ण**अंगों का दान करके संभावित रूप से आठ लोगों के जीवन** को बचा सकता है, तथा कॉर्निया, त्वचा, हड्डियों और हृदय वाल्व जैसे ऊतकों का दान करके कई अन्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है।

अंगदान और प्रत्यारोपण पर विभिन्न परिप्रेक्ष्य क्या हैं?

- **धार्मिक दृष्टिकोण:**
    - **हिंदू धर्म** में शरीर की पवित्रता एक महत्त्वपूर्ण पहलू है, लेकिन अंगदान पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है।
        - हालाँकि, अंगदान का समर्थन करने के लिये प्राय: **'दान'** (निःस्वार्थ दान) के सिद्धांत का हवाला दिया जाता है।
        - धर्म निःस्वार्थ कार्यों को महत्त्व देता है और अंगदान को करुणा और सेवा के कार्य के रूप में देखता है। कई हिंदू नेता दान की वकालत करते हैं, इसे **पीड़ा को कम करने और "अहिंसा" (अहिंसा) के सिद्धांत के रूप में** व्याख्या करते हैं।
    - **इस्लाम में,** पारंपरिक दृष्टिकोण शरीर की पवित्रता पर ज़ोर देते हैं और साथ ही यह विश्वास भी करते हैं कि यह**प्रलय के दिन तक** अक्षुण्ण रहना चाहिये।
        - हालाँकि, कई समकालीन विद्वान और संगठन जीवन बचाने तथा दूसरों की सहायता करने के सिद्धांतों के तहत एक स्वीकार्य कार्य के रूप में अंगदान का समर्थन करते हैं, बशर्ते कि यह इस्लामी कानूनों के साथ-साथ नैतिक दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।
        - दान का यह कार्य **इस्लामी मूल्यों के अनुरूप** है, जो दयालुता और मानव जीवन की पवित्रता पर ज़ोर देता है।
    - **ईसाई धर्म में,** दूसरों की मदद करने पर ज़ोर दिया जाता है, जैसा कि ईसा मसीह की शिक्षाओं में दर्शाया गया है, अंगदान को प्रेम के एक गहन कार्य के रूप में समर्थन दिया जाता है।
        - कुछ चिंताओं के बावजूद, अंगदान को जीवन का विस्तार करने और दयालुता की एक स्थायी विरासत छोड़ने का एक अच्छा तरीका माना जाता है।
    - **बौद्ध धर्म** अंगदान को **करुणा एवं निस्वार्थता** का कार्य मानता है, तथा पीड़ा को कम करने के साथ आपसी जुड़ाव को बढ़ावा देने के अपने सिद्धांतों के अनुरूप मानता है।
        - अंगदान के संबंध में कोई विशिष्ट बौद्ध निषेध या आदेश नहीं हैं; इसे व्यक्तिगत अंतरात्मा द्वारा निर्देशित एक व्यक्तिगत निर्णय माना जाता है।
- **दार्शनिक दृष्टिकोण:**
    - **सदाचार नैतिकता**: यह **व्यक्ति के चरित्र और इरादों पर ज़ोर** देता है **न कि उसके व्यक्तित्व पर**। नियमों के पालन या परिणामों के प्रति सम्मान। यह दृष्टिकोण करुणा, उदारता एवं परोपकारिता को महत्त्व देता है।
        - इस प्रकार यह विचार अंगदान को एक पुण्य कार्य के रूप में समर्थन दे सकता है तथा दानदाताओं और चिकित्सा पेशेवरों को सत्यनिष्ठा और सहानुभूति के साथ कार्य करने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है।
    - **स्वतंत्रतावाद:** यह **व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता** को प्राथमिकता देता है, किसी के शरीर को नियंत्रित करने के अधिकार एवं अंगदान के बारे में निर्णय पर ज़ोर देता है। वे स्वैच्छिक अंगदान का समर्थन कर सकते हैं और साथ ही कथित सहमति या जबरदस्ती का विरोध भी कर सकते हैं।

निष्कर्ष

अंगदान एवं प्रत्यारोपण में नैतिक चिंताएँ बहुआयामी हैं और साथ ही वैश्विक रूप से अंग की कमी को दूर करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। जैसा कि ह**अनुमानित बनाम स्पष्ट सहमति** के जटिल परिदृश्य, **"प्राइमम नॉन नोसेरे" के सिद्धांतों** तथा अंग तस्करी से जुड़ी नैतिक दुविधाओं को देखते हैं, यह स्पष्ट होता है कि एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है। जीवित दाताओं के बीच दबाव की संभावना, अंगदान में निष्पक्षता, तथा खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता जैसे नैतिक मुद्दों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया जाना चाहिये ताकि प्रणाली की सत्यनिष्ठा को बनाए रखा जा सके।

मानवविज्ञानी **मार्गरेट मीड** के शब्दों में, **"इसमें कभी संदेह न करें कि विचारशील, प्रतिबद्ध नागरिकों का एक छोटा समूह दुनिया को बदल सकता है; वास्तव में, यह एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसने ऐसा किया है"।** इस प्रकार एक अधिक न्यायसंगत और कुशल अंगदान प्रणाली का विकास इन नैतिक समस्याओं को **व्यापक, पारदर्शी और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से** संबोधित करने पर निर्भर करता है। नैतिक अनिवार्यताओं एवं सामाजिक आवश्यकताओं

के साथ प्रथाओं को संरेखित करके, हम महत्त्पूर्ण अंगों की कमी को बेहतर ढंग से दूर कर सकते हैं और कई लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/organ-donation-a-moral-imperative-in-a-world-of-scarcity